उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 613/2024

विष्णु देव पांडे .....वादी।

बनाम्

राजेन्द्र पांडे.....प्रतिवादी।

आदेश

21.05.2026 वादी की पैरवी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 19.03.2026 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये यह कथन करते है कि प्रस्तुत वाद में अलावे अन्य दादरसी के नया सर्वे खतियान प्रविष्टी बनाम् प्रतिवादी पूर्वज के नाम दर्ज होना गलत अवैध घोषित करने हेतू किया है। मुकदमा में विवादित ऐराजी में मौजा चुआड नया खाता 115 प्लाट 1086 रकवा 14 डी0 है। इधर वादी को पता चला कि प्रतिवादी कुर्सीनामा में दर्ज श्रीनिवास पांडेय की पुत्री वो पत्नी द्वारा निबंधित केबाला दिनांक 20.07.2016 को उपरोक्त ऐराजी के निस्वत वजूद में लाया गया है जिसके निस्वत अर्जी मरम्मरत करना आवश्यक है और केबाला की सच्ची प्रतिलिपि दिनांक 08.09.2025 को मिलने पर जानकारी पर अर्जी मरम्मत का राईट का भी कथन किया गया है।वादी ने कंचन देवी और संगीता देवी को बतौर प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने का अनुरोध किया है तथा अर्जी में संशोधन न्यायहित में आवश्यक है। अनुरोध करते है कि वादी का संशोधन आवेदन महज औपचारिक प्रकृति का है जिससे मुकदमा स्वरूप नहीं नहीं बदलता है अतः अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। वाद अभि उपस्थिति हेतु नियत है। वादी का संशोधन आवेदन महज औपचारिक प्रकृति का है। जिससे वाद की स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। अतः वादी के तरफ से दिनांक 19.03.2026 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कंचन देवी और संगीता देवी को बतौर प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने का आदेश दिया जाता है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को निदेर्शित किया जाता है कि कार्यालय लिपिक के समक्ष आवदेन के अनुसार अर्जी में संशोधन करें।

दिनांक– 09.07.2026 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)